मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

निविदा सूचना एवं शर्ते

मत्स्य निदेशालय, मान्य इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी, फर्म से ''राँची मछली घर'' (एक्वेरियम हाऊस, नक्षत्र वन के नजदीक) एवं उसके साथ परिसर स्थित कैन्टीन (दो), बाल–क्रीड़ा एवं पुष्पवाटिका उद्यान के संचालन एवं प्रबंधन के लिए अस्थायी रूप से दस वर्षो के लिए मुहरबंद निविदाएँ, तकनीकी एवं वित्तीय बीड दो अलग–अलग लिफाफों में (लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड लिखा हुआ हो) आमंत्रित करता है। निविदा की विस्तृत शर्त सहित विवरणी दिनांक 26.08.2019 से 27.08.2019 तक मत्स्य निदेशालय, मत्स्य भवन, डोरण्डा, राँची से 10000/–(दस हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर जमा कर कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है। निविदा दिनांक 29–08–2019 को 12.00 बजे दिन तक निदेशक मत्स्य के कार्यालय में जमा/प्राप्त की जायेगी। उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न में निदेशक मत्स्य के कार्यालय कक्ष में सर्वप्रथम तकनीकी बीड खोली जायेगी, तत्पश्चात तकनीकी बीड में सफल हुए निविदादाता की वित्तीय बीड खोली जायेगी। निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि वहाँ चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं। एक निविदा हेतु मात्र एक प्रतिनिधि ही उपस्थित होंगे।

तकनीकी बीड में निविदा–दाता व्यक्ति, कम्पनी अथवा फर्म को निम्नलिखित सभी अर्हत्ताएँ जिनका विस्तृत विवरण आगे दर्ज है होनी चाहिए एवं यथेष्ट प्रमाण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा :–

1. सरकारी पार्क, सरकारी पर्यटन स्थल को चलाने का कम–से कम आठ वर्षो का अनुभव का प्रमाण।
2. बड़े पैमाने पर रंगीन, सजावटी मछलियों, एक्वेरियम के संचालन एवं रख–रखाव का कम से कम पाँच वर्षो का अनुभव हो।
3. G.S.T का निबंधन हो।
4. पिछले पाँच वर्षो का इनकम टैक्स रिटर्न।
5. वार्षिक टर्न– ओभर।
6. उपायुक्त/जिला दंडाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
7. बच्चों एवं वयस्कों के बीच शिक्षाप्रद कार्यक्रम संचालन का कम से कम 5 वर्षो का अनुभव।
8. मछली घर के भविष्य के उन्नयन के लिए कम से कम 30 लाख रूपये मात्र का कार्य योजना जमा करना, जिसमें पूर्ण वित्तीय भागीदारी पट्टेदार की होगी। कार्य–योजना का विभाग से अनुमोदन के पश्चात् 25 प्रतिशत राशि बन्दोबस्ती के बाद एक वर्ष में तथा डी0पी0आर0 का 75 प्रतिशत राशि अगले तीन वर्षो में व्यय कर योजना को चार वर्षो में पूरा करना होगा।

वित्तीय बीड में निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध करानी होंगी :–

1. आवेदक द्वारा सरकार को देय मछली घर का वार्षिक प्रस्तावित राजस्व का ब्योरा।

(यहाँ उल्लेखित नहीं करें, वित्तीय बीड हेतु निर्धारित प्रपत्र में ही अंकित किया जाए)

निविदा की मुख्य सूचनाएँ :–

क्र0	विवरणी	वार्षिक सुरक्षित जमा राशि (रू0 में0)	प्रतिभूति की राशि (रू0 में)
1	1.23 एकड़ क्षेत्र में दो कैंटीनयुक्त राँची मछलीघर का प्रबंधन एवं संचालन पूर्णतः मूल आधारभूत संरचना से पोषित विकसित बाल क्रीड़ा एवं पुष्पवाटिका उद्यान के प्रांगण की बंदोबस्ती।	5,00,000.00 (प्रत्येक तीन वर्षों के अन्तराल पर सुरक्षित जमा की निर्धारित राशि में 20 (बीस) प्रतिशत् की वृद्धि की जाएगी।)	5,00,000.00 (पाँच लाख) रू0

बन्दोबस्ती की अवधि	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
दस वर्ष (14.10.2019 से 13.10.2029 तक)	29.08.2019 12.00 बजे दोपहर तक	29.08.2019 3.00 बजे अपराह्न

शर्तें :

निविदा दाताओं को तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफों में जमा करनी होगी। दोनों लिफाफों पर स्पष्ट रूप से ''तकनीकी बीड'' अथवा ''वित्तीय बीड'' अंकित होना चाहिए। लिफाफों पर निविदादाता का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

तकनीकी बीड :

तकनीकी बीड के साथ निम्न सभी कागजात संलग्न होने आवश्यक हैं–

1. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि मो0 पाँच लाख रू0 का भारतीय स्टेट बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न होनी चाहिए, जो निदेशक मत्स्य (**Director of Fisheries, Jhakhand**), झारखण्ड, राँची के पक्ष में देय हो तथा राँची में भुगतेय हो।

   (जिन निविदा दाताओं द्वारा निर्धारित रूप से प्रतिभूति राशि तकनीकी बीड के साथ संलग्न नहीं की जाएगी, उनकी निविदाएँ सरसरी तौर पर रद्द कर दी जायेंगी।)
2. निविदादाताओं को सरकारी पार्क, सरकारी पर्यटन स्थल के संचालन का आठ वर्षों के अनुभव का यथेष्ट प्रमाण संलग्न करना है, जिसमें वांछित अनुभव, कार्य स्थल की जानकारी हो।
3. बड़े पैमाने पर रंगीन सजावटी मछलियों के एक्वैरियम के संचालन एवं रख–रखाव का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव का प्रमाण संलग्न किया जाए।
4. दो स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करें।
5. उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी से निर्गत अद्यतन अथवा अधिक से अधिक एक वर्ष के अन्दर (दिनांक 29.08.2018 के बाद) का निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र तकनीकी बीड के साथ जमा करना होगा।
6. बच्चों एवं व्यस्कों के बीच िक्षाप्रद कार्यक्रम संचालन का कम से कम पांच वर्शो का अनुभव का यथेष्ट प्रमाण संलग्न करना है, जिसमें वांछित अनुभव, कार्य स्थल की जानकारी हो।
7. वित्तीय वर्ष 2017–18 (एसेसमेन्ट वर्ष 2018–19) एवं इसके पूर्व के चार वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति।
8. फर्म /संस्था/व्यक्तिगत–फर्म/व्यक्तिगत का वार्षिक टर्नओवर की प्रति।
9. जी0एस0टी0 का निबंधन ।
10. मछली घर के भविष्य के उन्नयन के लिए कम से कम 30 लाख रूपये मात्र का कार्य योजना की प्रति जमा करें, जिसमें पूर्ण वित्तीय भागीदारी पट्टेदार की होगी।
11. निविदा जमा करते समय मत्स्य निदेशालय से प्राप्त निविदा प्रपत्र की विस्तृत जानकारी

    हेतु प्राप्त रसीद की छाया–प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. फर्म अथवा किसी संस्था के लिए निविदा प्रपत्र क्रय करने अथवा हस्ताक्षरित करने हेतु उक्त फर्म अथवा संस्था से प्राधिकृत होने का प्रमाण पत्र/पत्र संलग्न करना होगा। राज्य के बाहर के फर्म/संस्था/व्यक्तिगत–फर्म/व्यक्तिगत को बन्दोबस्ती प्राप्त होने पर एक माह के अन्दर राँची में अपना कार्यालय स्थापित करना होगा।

वित्तीय बीड :–

1. मुहरबन्द लिफाफे में अलग से जमा की जाएगी तथा उसपर ''वित्तीय बीड'' लिखा रहेगा।
2. निर्धारित विहित प्रपत्र (प्रति संलग्न अनु0–1) में ही वित्तीय बीड अंकित किया जाए।
3. वित्तीय बीड में अन्य किसी भी प्रकार के कागजात संलग्न नहीं किए जाएँगे।

अन्य भार्ते :–

1. विभाग द्वारा अनुमोदित लीज/बन्दोबस्ती की सभी शर्ते पट्टेदार को मान्य होंगी।

(शर्तो के साथ प्रस्तुत निविदा अमान्य होगी।)

2. सफल निविदादाता को प्रथम वर्ष की बन्दोबस्ती की आधी राशि निविदा स्वीकृति के बाद अगले ही कार्य दिवस का जमा करनी होगी, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। प्रथम वर्ष की शेष बंदोबस्ती–राशि दो बराबर किस्तों में तीन माह के अंतराल पर जमा करनी होगी। अगले वर्षो की आधी बन्दोबस्ती राशि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 15 दिनों के अन्दर जमा करनी होगी तथा भोष बन्दोबस्ती–राशि दो बराबर किस्तों में तीन माह के अंतराल पर जमा करनी होगी। बन्दोबस्तधारी चाहें तो बन्दोबस्ती की सम्पूर्ण राशि भी एक किस्त में जमा कर सकेंगे।
3. बन्दोबस्ती के प्रस्ताव में सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पट्टेदार को बन्दोबस्ती का एकरारनामा हस्ताक्षर करने एवं निबंधन कराने के लिए नोटिस दी जायगी, जिसमें 15 दिनों के भीतर पट्टेदार को एकरारनामा हस्ताक्षर एवं निबंधन कराना होगा, जिसका पूर्ण व्यय पट्टेदार को वहन करना होगा, अन्यथा बन्दोबस्ती रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. सफल निविदाता की प्रतिभूति राशि बन्दोबस्ती की अवधि समाप्ति के उपरांत वापस की जायेगी।
5. प्रत्येक तीन वर्षो के अन्तराल पर सुरक्षित जमा की निर्धारित राशि में 20 (बीस) प्रतिशत् की वृद्धि की जाएगी।
6. बन्दोबस्ती की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाएगी। मछली घर के उत्कृष्ट संचालन एवं बन्दोबस्तधारी द्वारा लिखित रूप में अतिरिक्त यथोचित निवेश का आवेदन देने की स्थिति में सरकार अगर चाहे तो अगले दस वर्षो के अवधि विस्तार पर विचार कर सकती है अथवा बन्दोबस्तधारी के द्वारा एकरारनामा की भार्त/शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कारण पृच्छा का अवसर देते हुए सक्षम स्तर से बन्दोबस्ती समाप्त की जा सकती है।

7. बिना कारण बताए इस निविदा के किसी खण्ड/शर्त अथवा पूरी निविदा को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। इस बन्दोबस्ती के विरूद्ध किसी भी वाद मात्र राँची के माननीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही मान्य होगा।

निदेशक

मत्स्य

झारखण्ड,

राँची।

<u>अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :</u>
सहायक मत्स्य निदेशक (तक0) सह नि0 एवं व्यय0 पदा0
मत्स्य निदेशालय, मत्स्य भवन, डोरण्डा, राँची
दूरभाष सं0–9431105224

<u>पत्राचार का पता–</u>
मत्स्य निदेशक,
मत्स्य निदेशालय,
मत्स्य भवन, डोरण्डा, राँची–834002